

कार्यालय संयुक्त संचालक(कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जबलपुर क्षेत्र,
जबलपुर (म0प्र0)

//विज्ञप्ति//

निःशक्त जनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन

क्रमांक संसं/क्षेकाज/स्थाप/विभाआ/निःशक्त/16/ 1033 /जबलपुर, दिनांक:13/12/2016

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ जबलपुर संभाग की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी (कर्मशाला सहायक/भृत्य, चौकीदार) के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्तजनों के आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2016 तक आमन्त्रित किए जाते हैं। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या एवं अन्य विवरण, संचालनालय कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर दिया गया है।

सही/—

संयुक्त संचालक (कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं जबलपुर क्षेत्र
जबलपुर
फोन नं0 0761—2641257

**कार्यालय संयुक्त संचालक(कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जबलपुर क्षेत्र,
जबलपुर (म0प्र0)**

निःशक्त जनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन

क्रमांक संसं/क्षेकाज/स्थाप/विभाआ/निःशक्त/16/ 1034 /जबलपुर, दिनांक:13/12/2016

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ जबलपुर संभाग की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी (कर्मशाला सहायक/भृत्य, चौकीदार) के रिक्त पदों हेतु निःशक्तजनों के आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2016 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण संचालनालय कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mpskills.gov.in पर दिया गया है।

स. क्र.	संस्था का नाम	कर्मशाला सहायक			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
		अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित
1	आदर्श जबलपुर	---	01 (कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)	---	---	---	---
		---	---	01 (वैल्डर)	---	---	---
2	छिन्दवाड़ा	---	01 कटिंग स्वीइंग	---	---	01	01
3	महिला जबलपुर	---	---	---	---	01	---
		---	02	01	---	02	01

वेतनमान

- 01 स0क्र0 01 के लिये 4440-7440 + ग्रेड पे 1400/- तथा म0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी।
- 02 स0क्र0 02 का वेतनमान रूपया 4440-7440 + ग्रेड पे 1300/- तथा शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी।

अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता

कर्मशाला सहायक :-

(i) किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से बोर्ड की आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।

(ii) राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित व्यवसाय में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण या संबंधित व्यवसाय में अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण ।

prfk/Js kh de/pkj h

किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से बोर्ड की आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।

U; ure vk; q l hek

दिनांक 01.01.17 को सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष की पूरी कर ली हो ।

vf/kdre vk; q l hek

दिनांक 01.01.17 को निम्नलिखित आयु पूर्ण न की हो –

01. आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 45 वर्ष के आवेदक ।

02.. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा 45 वर्ष महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0)

03. अनारक्षित वर्ग के आवेदक 40 वर्ष

04 म.प्र.के निःशक्तजन आवेदकों के लिए अधिकतम आयुसीमा 01.01.17 की स्थिति से 45 वर्ष होगी ।

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

p; u i fØ; k

उम्मीदवारों का चयन विहित अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मैरिट सूची के माध्यम से किया जावेगा ।

nLrkostka dk i jh{k. k

आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच संयुक्त संचालक कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय आईटीआई केम्पस, दमोह रोड जबलपुर 482002, मध्यप्रदेश जबलपुर, जहां आवेदन पत्र जमा किया गया है, में की जायेगी । आवेदन पत्र में विज्ञापन अनुसार समस्त अर्हतायें पूर्ण होने पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों की जांच हेतु बुलाया जावेगा । मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा । यदि जांच में यह पाया गया कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है अथवा संबंधित पद के कृत्यों में निःशक्तता बाधित होने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जायेगी । मूल दस्तावेज परीक्षण में उम्मीदवार विज्ञापन में दर्शायी गई समस्त अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो वह संबंधित पद के लिए अपात्र होगा तथा उसके स्थान पर मेरिट क्रम से अगले उम्मीदवार को चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जावेगा ।

vkouu i = i klr gkus dh vfre frffk

आवेदन पत्र कार्यालय संयुक्त संचालक (कौशल विकास) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जबलपुर क्षेत्र, आई.टी.आई. केम्पस, दमोह रोड, जबलपुर (म0प्र0) के कार्यालय में दिनांक 30/12/2016 को शाम 5=00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन क्रमांक/दिनांक तथा आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावे। डाक में होने वाले विलम्ब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे एवं स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा।

vkouu dj us grq vko' ; d funʒ k

- 01 विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में ही अच्छे कागज पर ही आवेदन करें/अपूर्ण आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त माने जावेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से बिना कांट छांट के साफ-साफ अक्षरों में भरें। एक से अधिक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भरें। आवेदन पत्र में आवेदक अपने पते में मोबाइल नंबर तथा ई-मेल अवश्य दें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे परिवर्तित न करें। परिवर्तन करने की स्थिति में यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसकी जवाबदारी उम्मीदवार की स्वयं की होगी।
- 03 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 04 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता/जाति प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाणपत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हो तथा इसकी सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावे।
- 05 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो अथवा जिन आवेदकों की दो से अधिक संतान हो जिसमें एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
- 06 दिनांक 31.12.88 के पूर्व अथवा पश्चात के सेवामुक्त दैनिक भोगी कर्मियों को नियुक्ति में नियमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी।
- 07 आवेदक का रोजगार कार्यालय के जीवित पंजी पर पंजीयन होना आवश्यक है।
- 08 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजना होगा।
- 09 आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही आवेदक के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 10 निःशक्तजनों की विकलांगता का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी से करवाने के उपरान्त नियुक्ति की जावेगी, कि आवेदक उस पद के लिये शारीरिक रूप से सक्षम एवं योग्य है।
- 11 शासन के नियमानुसार नियुक्ति के लिए मेडिकल बोर्ड से जारी किया हुआ कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

सही/—

संयुक्त संचालक (कौशल विकास)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ जबलपुर क्षेत्र

जबलपुर

फोन नं0 0761—2641257

vkonu i = dk ik: i

प्रति,

संयुक्त संचालक(कौशल विकास)
क्षेत्रीय कार्यालय, (औ0प्र0 संस्थाएँ)
जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर (म0प्र0)

आवेदक यहां नवीनतम पासपोर्ट
आकार का स्वयं का हस्ताक्षरित
छायाचित्र लगावे।

- आवेदित पद का नाम
- 01 आवेदक का नाम (हिन्दी में)
- अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में)
- 02 लिंग:- पुरुष संकेतांक 01 लिखे, महिलाएं
संकेतांक 02 लिखें,
- 03 पिता/पति का नाम
- 04(अ) पत्र व्यवहार का पता
- (हिन्दी में पिनकोड सहित)
- (ब) स्थायी पता
- मोबाइल नंबर
- 05(अ) जन्म तिथि आठवीं /दसवीं प्रमाण पत्र के आधार
पर
- अंकों में
- शब्दों में
- (ब) दिनांक 01/01/2017 को आयु
- 06 क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है (हाँ/नहीं)
- 07 जन्म स्थान
- ग्राम/शहर/जिला/ राज्य का नाम लिखें
- 08 आवेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए
घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य
पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 09 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य
पिछड़ा वर्ग/सामान्य अंकित करें।
- 10 क्या आवेदक विकलांग है। हाँ/नहीं (प्रमाण पत्र
की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
- 11 विकलांगता का प्रकार (दृष्टि बाधित/श्रवण
बाधित/अस्थि बाधित) एवं प्रतिशत
- 12 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है। हाँ/नहीं

13 रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक

क्रमांक.....दिनांक.....रोजगार

कार्यालय का नाम.....

14. जीवित बच्चों की संख्या

अनुक्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

15 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ:

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विद्यालय	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रमाण पत्र का क्रमांक

16 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

01

02

03

04

दिनांक.....

स्थान.....

vkond ds gLrk{kj
, oa ijk i rk

i æk. k&i =

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक.....

स्थान.....

vkond ds gLrk{kj
, oa ijk i rk